

## अध्याय - III

# परमाणु ऊर्जा विभाग

### 3.1 भारी पानी बोर्ड की गतिविधियां

भारी पानी बोर्ड द्वारा बड़ौदा के बंद भारी पानी संयंत्र के विघटन तथा निपटान के निर्णय में देरी एवं तालचर के भारी पानी संयंत्र को बंद करने में देरी के कारण इनके रख-रखाव पर ₹ 68.26 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। 29 परियोजनाओं में एक माह से सात वर्ष से अधिक का समय लंघन तथा पांच परियोजनाओं में ₹ 12.32 करोड़ का लागत लंघन था। ₹ 8.66 करोड़ की लागत से स्थापित ऑक्सिडेशन प्रणाली फीडर गैस की कमी के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका।

#### 3.1.1 प्रस्तावना

परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.), परमाणु तथा विकिरण तकनीकों के विकास तथा कृषि, औषधि, उद्योग एवं आधारभूत शोध के क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग में संलग्न है। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डी.ए.ई. के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) द्वारा संचालित दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टर (पी.एच.डब्ल्यू.आर.) का उपयोग शामिल है। पी.एच.डब्ल्यू.आर. का एक महत्वपूर्ण घटक भारी पानी<sup>4</sup> (एच.डब्ल्यू.) है जो पी.एच.डब्ल्यू.आर. द्वारा शुरू में निर्णायकता प्राप्त तथा बाद में संचालन के दौरान मंदक<sup>5</sup> तथा शीतलक<sup>6</sup> के रूप में एवं हानियों<sup>7</sup> की समय-समय पर पूर्ति के लिए आवश्यक है।

डी.ए.ई. के तहत औद्योगिक इकाइयों में से एक, भारी पानी बोर्ड (एच.डब्ल्यू.बी.) भारी पानी के उत्पादन तथा तकनीक के सम्बद्ध क्षेत्रों में शोध एवं विकास गतिविधियों के परिपोषण तथा सुगम करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अधिदेश में भारी पानी संयंत्रों की रचना, अभियांत्रिकी, निर्माण, संचालन तथा रख-रखाव एवं साथ ही साथ नई

<sup>4</sup> डी<sub>2</sub>ओ - ड्यूटेरियम ऑक्साइड

<sup>5</sup> एक तापीय रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया में जनित न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मंदक की आवश्यकता है ताकि श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाई रखी जा सके।

<sup>6</sup> विखंडन रिएक्टर में जनित ऊष्मा ऊर्जा को शीतलक हटाता है। विखंडन प्रतिक्रिया में जनित ऊष्मा को द्वितियक शीतलक हल्के पानी तक परिवहन करने के लिए भारी पानी प्राथमिक शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है।

<sup>7</sup> संचालक के दौरान रिसाव, वाष्पीकरण इत्यादि के कारण भारी पानी के नुकसान को भारी पानी से फिर से भरा जाना होता है।

प्रक्रियाओं का विकास, भारी पानी का नियमित उत्पादन, तकनीकों का विकास तथा बंद नाभिकीय ईंधन चक्र गतिविधियों हेतु आवश्यक विलायकों का उत्पादन शामिल है। एच.डब्ल्यू.बी. ने देश में विभिन्न स्थानों पर सात भारी पानी संयंत्र (एच.डब्ल्यू.पी.) स्थापित किए हैं।

एच.डब्ल्यू.बी. की गतिविधियां की निगरानी एक मंडल द्वारा की जाती है जिसमें 11 सदस्य हैं तथा मुख्य कार्यपालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में है एवं डी.ए.ई., बी.ए.आर.सी., एन.पी.सी.आई.एल., डी.पी.एस.<sup>8</sup>, एच.डब्ल्यू.बी. एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों/प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व है।

2012-13 से 2016-17 की अवधि हेतु एच.डब्ल्यू.बी. का बजट तथा व्यय नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: 2012-17 हेतु बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बजट अनुमान	701.05	830.00	936.82	1,032.00	1,123.58
वास्तविक	812.50	864.89	1,053.58	1,025.76	1,066.26
प्रतिशत अंतर	16	4	12	-1	-5

जैसा ऊपर वर्णित है, 2012-13 से 2014-15 के दौरान व्यय बजट अनुमान से चार से 16 प्रतिशत अधिक था तथा 2015-16 से 2016-17 के दौरान बचत बजट अनुमान से एक से पांच प्रतिशत अधिक थी।

एच.डब्ल्यू.बी. ने 10वीं, 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में संयंत्रों<sup>9</sup> के रख-रखाव, प्रतिस्थापन और पूर्ण हेतु उपकरणों का क्रय तथा भूमि प्राप्ति से संबंधित 39 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया। परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत ₹ 420.43 करोड़ थी जिसके समक्ष मार्च 2017 तक ₹ 266.61 करोड़ अर्थात् 63.4 प्रतिशत का व्यय किया गया।

2012-13 से 2016-17 की अवधि में एच.डब्ल्यू.पी. के प्रबंधन, रख-रखाव तथा संचालन एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जांच के लिए एच.डब्ल्यू.बी. तथा एच.डब्ल्यू.पी. की लेखापरीक्षा की गई। विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चार कार्यरत संयंत्रों में से दो तथा तीन बंद/निलंबित संयंत्रों को चुना गया। एच.डब्ल्यू.बी. द्वारा निष्पादित 39 परियोजनाओं में से स्तरीकृत क्रमरहित नमूना विधि पर आधारित ₹ 250.77 करोड़ व्यय के 33 चालू/पूर्ण परियोजना चुने गए।

<sup>8</sup> क्रय एवं भंडारण निदेशालय, डी.ए.ई. की केन्द्रीकृत क्रय इकाई

<sup>9</sup> सुधार एवं आधुनिकीकरण, अल्प संशोधन, सुरक्षा, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण में सुधार, आयु प्रबंधन तथा प्रणाली उन्नयन आदि।

### 3.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 3.1.2.1 भारी पानी संयंत्रों का प्रबंधन

(क) बंद पड़े संयंत्रों के रखरखाव पर ₹ 68.26 करोड़ का परिहार्य व्यय

(i) भारी जल संयंत्र, बडौदा

एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा को ₹ 34.74 करोड़ की लागत पर 1997 में कमीशन किया गया था तथा फीड सिन्थेसिस गैस हेतु गुजरात राज्य उर्वरक व केमिकल्स लिमिटेड (जी.एस.एफ.सी.) से जोड़ा गया। जी.एस.एफ.सी. के एक कम ऊर्जा सघन नवीन अमोनिया संयंत्र के प्रवर्तन करने से (1998) तथा फीड सिन्थेसिस गैस की गैर-उपलब्धता के परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से प्रभावी, एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा का संचालन रोक दिया गया।

परमाणु उर्जा आयोग (ए.ई.सी.) ने मार्च 2011 में हुई इसकी बैठक में कहा कि एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा में अधिकतर उपकरण, उनकी उपयोगिता जीवन का समय पूरा कर चुके हैं तथा प्रयोज्य संयंत्र/उपकरण को अन्य डी.ए.ई. सुविधाओं हेतु प्रयोग किया जा सकता था, विभाग के मौजूदा नियमों के अनुसार, शेष को रद्दी माल/अधिशेष घोषित किया जाना चाहिए था।

उसके पाँच वर्ष बीतने के पश्चात, एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा ने संयंत्र के टॉवर, पाइपिंग व संरचना सामग्री को गिराने हेतु लागत अनुमान तैयार करने के लिए जून 2016 में एक समिति का गठन किया। कुल निर्माण के 20 प्रतिशत को गिराने तथा उनका निपटान करने व शेष का “जैसा है जहाँ है” आधार पर निपटान हेतु विचार के लिए समिति की संस्तुतियों के आधार पर बोर्ड ने एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा की अधिशेष सामग्री के निपटान व तोड़-फोड़ को मंजूरी दी (सितम्बर 2016)। समिति ने मुख्य संयंत्र तथा फ्रंट एंड यूनिट की विघटन हेतु ₹ 3.60 करोड़ की कुल कीमत का अनुमान लगाया।

तत्पश्चात, बोर्ड ने मार्च 2017 सुझाव दिया कि एक व्यापक निपटान पध्दति अपनाई जानी चाहिए ताकि निराकरण के लिए आवश्यक व्यय निपटाई गई वस्तुओं से अपेक्षित राजस्व उत्पादन की आय से प्राप्त किया जा सके। बोर्ड ने आगे निर्देश दिया कि तोड़-फोड़ तथा संयंत्र के निपटान हेतु प्रस्ताव को ए.ई.सी. को प्रस्तुत करने के लिए डी.ए.ई. को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अक्टूबर 2017 में, ए.ई.सी. ने इसकी 230वीं बैठक में अधिशेष सामग्री के विघटन तथा निपटान को मंजूरी दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.ए.ई. ने संयंत्र के टॉवर, पाइपिंग तथा संरचनात्मक सामग्री के निपटान हेतु एक समिति के गठन में पाँच वर्ष लिए। समिति के गठन तथा विघटन व निपटान हेतु निर्णय में इस पाँच वर्ष की देरी की वजह से एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा को मुख्य संयंत्र के रखरखाव की ओर, अप्रैल 2011 में इसके समापन से, परिहार्य व्यय

करना जारी रखना पड़ा। अप्रैल 2011 से मार्च 2017 तक मुख्य संयंत्र के रखरखाव के लिए ₹ 13.92 करोड़ की राशि खर्च की गई।

**(ii) भारी जल संयंत्र, तालचेर**

एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर अप्रैल 1985 में ₹ 73.83 करोड़ की लागत पर स्थापित किया गया था तथा फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से फीड सिन्थेसिस गैस उपलब्ध करने के लिए जोड़ा गया था। अप्रैल 1994 में, इस संयंत्र का संचालन, अनवरत आधार पर एफ.सी.आई.एल. की ओर से फीड सिन्थेसिस गैसों की गैर उपलब्धता की वजह से निलंबित किया गया। डी.ए.ई. ने 2004 से 2011 की अवधि के दौरान इसके संचालन को फिर से शुरू करने के लिए फ्रंट एंड प्रौद्योगिकी के विकास की संभावना का अन्वेषण किया परंतु इसे तत्पश्चात उत्पादन की उच्च लागत की वजह से त्याग दिया गया।

सितम्बर 2016 में, बोर्ड ने महसूस किया कि एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर को फिर से शुरू करना विवेकी नहीं होगा क्योंकि तालचेर में भारी जल उत्पादन हेतु परिनियोजित प्रक्रिया विश्व में कहीं भी प्रयोग नहीं की गई थी तथा संयंत्र, विभिन्न प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों की वजह से अनवरत संचालन प्राप्त नहीं कर सका। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर को बंद करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। एच.डब्ल्यू.बी. द्वारा अक्टूबर 2016 में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर, बोर्ड ने डी.ए.ई. को एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर को बंद करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवंबर 2016)। अप्रैल 2017 तक प्रस्ताव डी.ए.ई. के पास अनुमोदन के लिए लंबित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 1994 से फीड सिन्थेसिस गैस की गैर-उपलब्धता के बावजूद तथा अप्रैल 2011 में फ्रंट-एंड प्रौद्योगिकी के नॉन-स्टार्टर साबित होने के बाद भी, संयंत्र को 'बंद' घोषित नहीं किया गया तथा एच.डब्ल्यू.बी. ने संयंत्र के संरक्षण व रखरखाव के लिए व्यय करना जारी रखा। एच.डब्ल्यू.बी. अप्रैल 2011 से मार्च 2017 के बीच संयंत्र के रखरखाव पर ₹ 54.34 करोड़ खर्च कर चुका था।

एच.डब्ल्यू.बी. ने कहा (मार्च 2017) कि एच.डब्ल्यू.बी. बडौदा में, तालचेर में प्रतिष्ठापन तथा इसे पुनः शुरू करने के लिए फ्रंट एंड प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि फ्रंट एंड प्रौद्योगिकी एच.डब्ल्यू.बी. बडौदा में असफलतापूर्वक प्रदर्शित की गई जिसे अप्रैल 2011 में उच्च उर्जा खपत तथा अलाभकर संचालन की वजह से ए.ई.सी. द्वारा तब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अतः एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर के बंद करने में देरी की वजह अस्पष्टीकृत रही।

इस प्रकार, एच.डब्ल्यू.बी. बडौदा के स्पयेर्स के विघटन व निपटान में देरी तथा एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर को बंद करने में देरी के परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से मार्च 2017 के बीच दो संयंत्रों के संरक्षण व रखरखाव पर रुपये ₹ 68.26 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

### 3.1.2.2 परियोजना प्रबंधन

33 चयनित परियोजनाओं<sup>10</sup> में से 18, पूर्ण व भंडार उपकरण की खरीद, मुख्य मरम्मत, सुधार, रेट्रोफिटिंग से तथा शेष 15 परियोजनाएं विकासीय गतिविधियों से सम्बंधित थी। मार्च 2017 को, 23 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थी तथा दस चल रही थी।

#### (क) परियोजनाओं में समय तथा कीमत लंघन

लेखापरीक्षा ने 33 चयनित परियोजनाओं में से 29 के कार्यान्वयन में देरी पाई। इन परियोजनाओं में एक माह से सात वर्ष तक की अवधि की देरी का विवरण नीचे तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: परियोजनाओं में समय लंघन

समय लंघन	परियोजनाएँ
एक वर्ष से कम	4
एक तथा पाँच वर्ष के बीच	24
पाँच वर्ष से ज्यादा	1

परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी का कारण अन्य बातों के साथ - साथ पुनरावृत्त रिटेंडरिंग, विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन में देरी, दोषपूर्ण तकनीकी मूल्यांकन तथा प्रस्तावों के प्रभावी अनुसरण में कमी भी है। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि पाँच परियोजनाओं में समय लंघन के परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं में ₹ 12.32 करोड़ का कीमत लंघन हुआ। परियोजनाओं की कीमत में वृद्धि 12 से 40 प्रतिशत के बीच थी। इन परियोजनाओं का विवरण **परिशिष्ट VII(क)** व **परिशिष्ट VII(ख)** में दिया गया है।

#### (ख) एकीकृत सूचना प्रणाली के सुधार में देरी

परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसकी सभी इकाईयों को इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड<sup>11</sup> (ई.सी.आई.एल.) को सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित आदेश देने का निर्देश दिया (अप्रैल 1996), जहाँ कहीं, यह जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में थी।

<sup>10</sup> ₹ 400.03 करोड़ की संस्वीकृत लागत के समक्ष ₹ 250.77 करोड़ का व्यय मार्च 2017 तक किया गया था।

<sup>11</sup> परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

एच.डब्ल्यू.बी. तथा पांच एच.डब्ल्यू.पी. में आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूदा एकीकृत सूचना प्रणाली (आई.आई.ए.) एप्लीकेशन साफ्टवेयर में सुधार” परियोजना को ₹ 10 करोड़ की अनुमानित लागत पर डी.ए.ई. ने संस्वीकृति दी (जनवरी 2013)। परियोजना मार्च 2016 तक पूरी की जानी थी। एच.डब्ल्यू.बी. ने मार्च 2013 में निविदा आमंत्रित की। तथापि, अनुमानित लागत तथा ₹ 21 से ₹ 48 करोड़ के बीच की बोली वाली उद्धृत लागत के बीच विशाल अंतर के कारण भारी जल बोर्ड ने फरवरी 2014 में कार्य को पुनः निविदा किया।

इसी बीच, एच.डब्ल्यू.बी. ने अक्टूबर 2013 में शीर्ष समिति के साथ डी.ए.ई. की डी.आई.एम.आई.एस.<sup>12</sup> शीर्षक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु हुई बैठक में सूचना दी कि यह एक नए प्रबंधन सूचना प्रणाली के डिजाइन की प्रक्रिया में था तथा डी.आई.एम.आई.एस. की आवश्यकताएँ इसमें शामिल की जाएगी। इस बैठक में, ई.सी.आई.एल. ने डी.आई.एम.आई.एस. परियोजना के विकास में सहायता प्रदान करने की इसकी इच्छा प्रकट की।

तदनुसार, एच.डब्ल्यू.बी. ने पूर्व निविदा को रद्द कर दिया तथा संशोधित कार्यक्षेत्र के साथ एक अन्य निविदा जारी की (मई 2014) जिसके समक्ष केवल एक बोली प्राप्त हुई। एच.डब्ल्यू.बी. ने एक नया निविदा नोटिस पुनःजारी किया (सितम्बर 2014) जिसके समक्ष पुनः एक बोली प्राप्त हुई। आगे, अनुमानित लागत तथा उद्धृत लागत के बीच बहुत अधिक अंतर था तथा एच.डब्ल्यू.बी. ने निविदा का अनुसरण नहीं किया।

इसके पश्चात्, एच.डब्ल्यू.बी. ने डी.ए.ई. के अनुमोदन (नवम्बर 2016) के साथ परियोजना की संस्वीकृत लागत को ₹ 14 करोड़ तक बढ़ाया तथा परियोजना अवधि का दिसम्बर 2018 तक परिनिर्धारण किया गया। एच.डब्ल्यू.बी. (दिसम्बर 2016) ने डी.आई.एम.आई.एस. के साथ मौजूदा आई.आई.एस. एप्लीकेशन साफ्टवेयर में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन के द्वारा ई.सी.आई.एल. को आदेश देने हेतु डी.ए.ई. को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मार्च 2017 तक डी.ए.ई. का अनुमोदन प्रतीक्षित था। तथापि, मार्च 2017 तक ₹ 14 करोड़ की संस्वीकृत लागत के समक्ष परियोजना पर ₹ 5.93 करोड़ का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 1996 को डी.ए.ई. के निर्देशों के बावजूद, भारी जल बोर्ड ने प्रथम दृष्टान्त में ई.सी.आई.एल. से संपर्क नहीं किया जबकि अधिकतर कार्य प्रस्तावित ई.आर.पी. साफ्टवेयर हेतु विकास, परीक्षण, परिनियोजन तथा समर्थन से सम्बंधित थे। आगे, यद्यपि एच.डब्ल्यू.बी. अक्टूबर 2013 से डी.आई.एम.आई.सी. आवश्यकताओं को

<sup>12</sup> डी.ए.ई. ने इसकी श्रमशक्ति, वित्तीय संसाधनों परियोजना निगरानी, सुरक्षा पहलूयों इत्यादि के प्रभावी प्रबंधन हेतु डी.आई.एम.आई.एस. के साथ उपलब्ध सभी जानकारी के एकीकरण के लिए एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (डी.आई.एम.आई.एस.) को एकीकृत किया।

ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर प्रणाली में बदलाव के बारे में अवगत था, इसने फरवरी 2014 में पुनः निविदा जारी करते हुए आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया। दो अवसरों पर अनुमानित तथा उदधृत लागतों के बीच बहुत अधिक अंतर होना, भारी जल बोर्ड की उचित लागत आवश्यकता निकालने की अयोग्यता का सूचक था।

एच.डब्ल्यू.बी. ने बताया (फरवरी 2017) कि ई.सी.आई.एल. ने डी.आई.एम.आई.एस. परियोजना हेतु अपनी इच्छुकता जाहिर की थी ना कि एच.डब्ल्यू.बी.-आई.आई.एस. परियोजना हेतु। एच.डब्ल्यू.बी. का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि डी.आई. ने 1996 में निर्देश दिया था कि ई.सी.आई.एल. से सॉफ्टवेयर की सभी विकासीय गतिविधियाँ हेतु प्रथम दृष्टान्त में संपर्क किया जाना था।

इस प्रकार, जनवरी 2013 में संस्वीकृत परियोजना में चार वर्ष से भी अधिक समय की देरी हुई तथा ₹ 5.93 करोड़ के पहले ही किए जा चुके खर्च के साथ यह बहुविध निरसन की वजह से अपूर्ण था।

#### (ग) ऑक्सीडेशन प्लांट की गैर-उपयोगिता

एच.डब्ल्यू.पी. कोटा ने ₹ 10 करोड़ की लागत पर तथा जुलाई 2012 को पूर्ण होने की नियत तिथि के साथ ऑक्सीडेशन संयंत्र हेतु एक परियोजना शुरू की (मई 2009)। संयंत्र को ट्रीटिएटिड पानी के भण्डारण हेतु प्रयुक्त किया जाना था। परियोजना पूर्ण की गई तथा मार्च 2013 में ₹ 8.66 करोड़ की लागत पर ऑक्सीडेशन संयंत्र शुरू किया गया। 72 घंटों के लिए जाँच संचालन के पश्चात, भारी जल क्लीनअप सुविधा (एच.ई.डब्ल्यू.ए.सी.) की ओर से फीड गैस की गैर-उपलब्धता की वजह से कोई संचालन नहीं हुआ।

इस प्रकार, एच.ई.डब्ल्यू.यू.बी. ने फीड गैस की अनवरत उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना ऑक्सीडेशन संयंत्र की स्थापना की, जिसका परिणाम संयंत्र की गैर-उपयोगिता तथा पिछले चार वर्षों से ₹ 8.66 करोड़ की निष्क्रिय लागत हुई।

#### (घ) संयंत्र का अल्प-उपयोग

एच.डब्ल्यू.बी. ने क्रमशः 60 मैट्रिक टन और 130 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता सहित त्रि-ब्युटाईल फॉस्फेट (टी.बी.पी.) के उत्पादन के लिए तालचर (2003) और बड़ौदा (2010) में दो संयंत्रों की स्थापना की थी। दोनों टी.बी.पी. संयंत्र संचालन में हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी.बी.पी. का वास्तविक उपयोग मौजूदा दो संयंत्रों की संस्थापित क्षमता से काफी कम था, जैसा कि तालिका 3.3 में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.3: एच.डब्ल्यू.पी. बड़ौदा और तालचर में टी.बी.पी. की मांग, उत्पादन और उपयोग

वर्ष	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	प्रति वर्ष की गई मांग	उपयोग	अंत शेष (मैट्रिक टन में)
2011-12	-	-	-	-	114.35
2012-13	190	165.50	123.7	198.54	81.31
2013-14	190	151.85	147.7	79.85	153.31
2014-15	190	158.08	167.7	148.49	162.90
2015-16	190	139.68	177.7	73.03	229.55
2016-17	190	158.28	197.7	85.03	302.80
<b>कुल</b>	<b>950</b>	<b>773.39</b>	<b>814.5</b>	<b>584.94</b>	<b>302.80</b>

पांच वर्षों 2012-13 से 2016-17 में दोनों संयंत्रों से टी.बी.पी. की 950 मैट्रिक टन की कुल स्थापित क्षमता में से और इसी अवधि में उपभोक्ताओं<sup>13</sup> की 814.5 मैट्रिक टन की कुल मांग के विरुद्ध, 773.39 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ था, जिसके विरुद्ध केवल 584.94 मैट्रिक टन टी.बी.पी. का उपयोग किया गया था। जनवरी 2017 तक 302.80 मैट्रिक टन टी.बी.पी. अंत शेष के रूप में बना रहा।

यद्यपि विद्यमान संयंत्रों की संस्थापित क्षमता हासिल किए गए वास्तविक उत्पादन, की गई मांग और उपयोग से ज्यादा थी, डी.ए.ई. ने ₹ 38 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर तूतिकोरिन में एक अन्य सॉल्वेंट उत्पादन संयंत्र<sup>14</sup> स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी (फरवरी 2015) प्रदान की जिसमें टी.बी.पी. का उत्पादन शामिल है। आपूर्ति के मांग से कम होने के बावजूद, कोई उपयोगकर्ता बाधित नहीं हुआ लगता है। इससे पता चलता है कि मांग अवास्तविक थी। गैर-आपूर्ति वाला स्टॉक शेष होने के बाद, तीसरे संयंत्र की स्थापना का भी सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (मई 2014) विभिन्न प्रकार के सॉल्वेंट्स के उपयोगकर्ताओं द्वारा पेश की गई मांग पर आधारित थी। यह महसूस किया गया कि सभी प्रकार के सॉल्वेंट्स के लिए एक संयुक्त संयंत्र सुविधा स्थापित करने के लिए लाभप्रद होगा क्योंकि यह परियोजना और परिचालन लागत दोनों को भी कम करेगा। परियोजना को फरवरी 2015 में डी.ए.ई. द्वारा 36 महीनों अर्थात् फरवरी 2018 तक

<sup>13</sup> भारी पानी बोर्ड, परमाणु ईंधन परिसर, परमाणु रीसाईकिल बोर्ड, परमाणु रीसाईकिल समूह, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, टी.बी.पी. के उपभोक्ता हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र आदि।

<sup>14</sup> सॉल्वेंट-टी.बी.पी. (150 मीट्रिक टन प्रति वर्ष), डी2 ई एच पी ए-11, टी.आई.ए.पी. और डी.एच.ओ.ए. (20-30 मीट्रिक टन प्रति वर्ष)।



के लक्ष्य के साथ मंजूरी दे दी गई थी। मार्च 2017 तक एच.डब्ल्यू.बी. ने इस परियोजना पर ₹ 57.54 लाख का व्यय किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रारंभिक प्रस्ताव टी.बी.पी. और अन्य सॉल्वेंट्स के लिए अलग-अलग संयंत्रों के लिए था। टी.बी.पी. के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की स्पष्ट आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 2015-16 में 139.68 मैट्रिक टन और 2016-17 में 158.28 मैट्रिक टन के वास्तविक उत्पादन के विरुद्ध, टी.बी.पी. का उपयोग 2015-16 में केवल 73.03 मैट्रिक टन और 2016-17 में 85.03 मैट्रिक टन था। यह भी पाया गया कि संयुक्त संयंत्रों में मुख्य रूप से टी.बी.पी. का उत्पादन किया गया। इसलिए, केवल उन साल्वेंट्स जो कम आपूर्ति में थे, के उत्पादन के लिए एक अलग संयंत्र की स्थापना पर विचार किया जा सकता था।

इस प्रकार, जहाँ मौजूदा दो संयंत्रों की क्षमता अल्प-उपयोगित रही वहीं एक तीसरे संयंत्र की स्थापना करने में जिसमें टी.बी.पी. का उत्पादन शामिल है, या तो तीसरे संयंत्र की निष्क्रियता अथवा इसकी क्षमता के अल्प-उपयोग का जोखिम है।

### 3.1.2.3 भारी जल पूल का प्रबंधन

एच.डब्ल्यू. के पूरे उत्पादन और खरीद/आयात को "भारी पानी पूल" को हस्तांतरित किया जाता है। 1 जुलाई 1979 से प्रभावित, एच.डब्ल्यू. के खरीद, भंडारण, केंद्रीय लेखांकन, वस्तु-सूची प्रबंधन और विभिन्न प्रयोक्ताओं को वितरण को एक वाणिज्यिक गतिविधि घोषित कर दिया गया। भारी पानी पूल को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है और एच.डब्ल्यू.बी. भारी पानी पूल प्रबंधन (एच.डब्ल्यू.पी.एम.) के संबंध में प्रोफॉर्मा लेखाओं का प्रबंधन करता है। फिर भी, एच.डब्ल्यू.बी. ने वर्ष 2013-14 के बाद से प्रोफॉर्मा लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया। प्रोफॉर्मा लेखाओं की गैर-प्रस्तुति के कारण, 2013-14 से 2016-17 के दौरान चार वर्षों तक एच.डब्ल्यू.बी. की वित्तीय स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

यद्यपि, डी.ए.ई. ने मध्यकालीन अवधि के दौरान होने वाले विकास को ध्यान में रखते हुए हर पांच वर्ष में भारी पानी की लागत और भारी पानी पूल के लेखांकन तथा मूल्य-निर्धारण की समीक्षा करने का निर्णय लिया (2004), तथापि मार्च 2017 तक 2009 में नियत मूल्य-निर्धारण नीति की कोई समीक्षा नहीं की गई थी।

### 3.1.2.4 अन्य मामलें

#### (क) प्रतिपूर्ति दावे की गैर-प्रप्ति

जी.एफ.आर. 2005 के नियम 9 के अनुसार, विभाग का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की प्राप्तियां और बकाया सटीक रूप से एवं तुरंत मूल्यांकित, एकत्रित

किए गए हैं और यथा प्रकरण समेकित निधि या सार्वजनिक लेखा में विधिवत् रूप से जमा किए गए हैं।

एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु में 1991 में एच.डब्ल्यू. के उत्पादन के लिए प्रोसेस संयंत्र को विश्वसनीय वाष्प एवं ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र (सी.पी.पी.) स्थापित किया गया। जनवरी 2005 में एच.डब्ल्यू.बी. ने निर्णय लिया कि चूंकि मुख्य संयंत्र में गहन ऊर्जा संरक्षण उपायों और प्रक्रिया अनुकूलन के कारण भाप और बिजली की खपत कम हो गई थी, इसलिए यह संयंत्र 12 मेगावाट विद्युत का निर्यात करने की स्थिति में था। तदनुसार, एच.डब्ल्यू.बी. ने विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (पी.टी.सी.) के साथ 12 मेगावाट बिजली की बिक्री के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया (फरवरी 2005)। निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, पी.टी.सी. बिजली के आहरण में 15 प्रतिशत के अनुमोदित विचलन से ज्यादा की कमी का 20 प्रतिशत प्रति के.डब्ल्यू.एच. टैरिफ की दर से प्रतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2014 से फरवरी 2017 की अवधि के दौरान, विद्युत निष्कर्षण में कमी के प्रति पी.टी.सी. से ₹ 6.51 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्य थी। फिर भी, एच.डब्ल्यू.पी. मानुगुरु पी.टी.सी. के साथ इस मामले को उठाने और राशि की वसूली करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि न तो पी.टी.सी. के साथ किए गए समझौते में और न ही परवर्ती पत्राचार में प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए कोई नियत तिथि दी गई थी।

इस प्रकार, ससमय कार्रवाई करने में विफलता का परिणाम ₹ 6.51 करोड़ के बकाया प्रतिपूर्ति दावे के रूप में हुआ।

#### (ख) पर्यावरण संबंधी दायित्व की गैर-पूर्ति

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) ने कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश के उपयोग और निपटान के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित (सितंबर 1999) की। दिशानिर्देशों में चरणबद्ध तरीके से विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न फ्लाई ऐश की पूरी मात्रा का उपयोग करना अनुबंधित था। अधिसूचना के अनुसार, हर कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट सीमेंट, कंक्रीट ब्लॉक, ईंट आदि जैसे एश-आधारित उत्पादों के विनिर्माण के लिए बिना किसी भुगतान के लिए ऐश उपलब्ध कराएगा। तदोपरांत, एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. ने चरणबद्ध तरीके से संशोधन के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत से लेकर पाँच वर्ष<sup>15</sup> के भीतर 100 प्रतिशत तक फ्लाई ऐश के उपयोग को

<sup>15</sup> अधिसूचना में एक वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत; दो वर्ष के भीतर 60 प्रतिशत; तीन वर्ष के भीतर 75 प्रतिशत; चार वर्ष के भीतर 90 प्रतिशत; और पाँच वर्ष के भीतर 100 प्रतिशत उपयोग निर्धारित था।

अनुबंधित करते हुए अधिसूचना में संशोधन (नवंबर 2009) किया। विद्युत संयंत्रों को अपनी वेबसाइटों पर फ्लाइंग ऐश के अपने स्टॉक को प्रदर्शित करने और प्रत्येक दो सप्ताह में उसे अद्यतन करने की एक और संशोधन (मार्च 2015) द्वारा आवश्यकता हुई।

एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु में एक कैप्टिव पावर प्लांट (सी.पी.पी.) लगाया गया था, जो प्रति दिन लगभग 1,200-1,600 मैट्रिक टन कोयले की खपत और 300-720 मैट्रिक टन राख उत्पन्न करता था। एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के निर्देशों के अनुसरण में, एच.डब्ल्यू.पी. ने ₹ 11.66 करोड़ की लागत पर शुष्क फ्लाइंग ऐश के संग्रह, अलगाव और भंडारण सुविधा स्थापित की (मार्च 2011)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु, एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. अधिसूचना द्वारा यथा निर्धारित फ्लाइंग ऐश का उपयोग नहीं कर सका। मार्च 2017 तक अर्थात् एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. की अधिसूचना से आठ वर्षों के बाद एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के निर्धारित 100 प्रतिशत फ्लाइंग ऐश के उपयोग के मानक के विरुद्ध केवल 66 प्रतिशत फ्लाइंग ऐश का उपयोग किया। इसके अलावा, एच.डब्ल्यू.पी. ने अपनी वेबसाइट पर फ्लाइंग ऐश स्टॉक की स्थिति को प्रदर्शित नहीं किया, जो एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के निर्देशों के खिलाफ था।

इस प्रकार, एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु, फ्लाइंग ऐश के सुरक्षित उपयोग के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा।

#### (ग) कोयले परिवहन पर परिहार्य व्यय

एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने अपने कैप्टिव पावर प्लांट क्षेत्र में बाहरी कोयला हैंडलिंग सिस्टम के संचालन एवं रखरखाव के लिए एक फर्म के साथ (दिसंबर 2008) समझौता किया। यह समझौता संविदाकार के संतोषजनक प्रदर्शन पर दो वर्ष के विस्तार के प्रावधान के साथ, अक्टूबर 2013 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध था। समझौते को बाद में अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दिया गया। नई संविदा प्रक्रिया (जनवरी 2015) के बाद कार्य को उसी फर्म को (फरवरी 2016) जनवरी 2021 तक पाँच वर्षों के लिए प्रदान किया गया था, क्योंकि केवल इसी फर्म ने निविदा की प्रतिक्रिया दी थी।

कार्य आदेश के अनुसार, फर्म को 60,000 मैट्रिक टन प्रति माह/2400 मैट्रिक टन प्रतिदिन कोयले की न्यूनतम मात्रा एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु को भेजना था। संविदाकार से गैर-संबंधी कारणों की वजह से परिवहन घंटों की नुकसान के मामलों में, मुआवजा<sup>16</sup> फर्म को देय था।

<sup>16</sup> एक मैट्रिक टन के लिए मुआवजा समझौते के मुताबिक 60,000 मैट्रिक टन के मूल मूल्य प्लस श्रमिक मजदूरी में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि, 60,000 मैट्रिक टन से भाग देकर।

अप्रैल 2012 से फरवरी 2017 की अवधि के लिए फर्म को किए गए भुगतान सहित मापन पुस्तिका की जांच करने पर यह पाया गया कि एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने हर महीने 200 मैट्रिक टन से लेकर 60,715 मैट्रिक टन के बीच कोयले की मांग की और प्राप्त किया तथा केवल तीन महीने (दिसंबर 2012, जनवरी 2014 और जनवरी 2016) में यह मात्रा 60,000 मैट्रिक टन से अधिक बढ़ गई थी। कोयला आहरण में कमी के कारण एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने फर्म को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 7.66 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

अप्रैल 2012 से फरवरी 2017 तक लगभग पांच वर्षों तक कोयले के आहरण में लगातार कमी दर्शाती है कि एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने अपनी वास्तविक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन नहीं किया था।

एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने बताया (जुलाई 2016) कि प्रणाली की ओ. एंड एम. के लिए इनपुट/संसाधनों को कम किए बिना 60,000 मैट्रिक टन की न्यूनतम मात्रा की कमी से केवल ठेकेदार के लाभ में ही काम आएगा। आगे यह कहा गया कि कार्य आदेश में उल्लेखित एक महीने में 60,000 मैट्रिक टन कोयले का परिवहन अर्ध-स्थायी प्राकृतिक संसाधनों, जिसमें रोपवे पद्धति प्रचालन एवं प्रबंधन गतिविधियों को करने हेतु कुशल कामगार, विशिष्ट उपकरण एवं टेकल्स इत्यादि शामिल हैं, की स्थापना के व्यय को पूरा करने के लिए ब्रेकइवेन प्वाइंट हासिल करने हेतु आवश्यक न्यूनतम मात्रा है।

उत्तर इस तथ्य के अनुसार मान्य नहीं है कि अप्रैल 2012 से फरवरी 2017 तक पाँच वर्षों की अवधि के दौरान कोयले की औसत आवश्यकता 40,076 मैट्रिक टन थी। केवल तीन अवसरों पर ही कोयला परिवहन 60,000 मैट्रिक टन के पार हुआ था।

इस तरह, एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु वास्तविक रूप से परिवहित किए गए कोयले की मात्रा का आकलन करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप मुआवजे के रूप में ₹ 7.66 करोड़ का भुगतान हुआ।

### 3.1.3 निष्कर्ष

भारी पानी बोर्ड की लेखापरीक्षा में पाया गया कि बड़ौदा में बंद भारी पानी संयंत्र के निराकरण तथा निपटान और तालचेर में भारी पानी संयंत्र को बंद करने के लिए निर्णय लेने में अनुचित विलंब के परिणामस्वरूप रखरखाव पर ₹ 68.26 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

इसके अलावा, एच.डब्ल्यू.पी. द्वारा संचालित किए गए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी विलंब हुआ। 33 चयनित परियोजनाओं में से 29 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक महीने से लेकर सात वर्षों से अधिक तक की अवधि विलंब था। पाँच परियोजनाओं

में लागत सीमा से अधिक था। फीड गैस की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ₹ 8.66 करोड़ की लागत से ऑक्सीडेशन संयंत्र स्थापित किया गया था।

डी.ए.ई. पी.टी.सी. से मार्च 2017 तक कुल ₹ 6.51 करोड़ के मुआवजे के दावों की पूर्ति के लिए समय पर कार्रवाई करने में भी विफल रहा। एक संयंत्र द्वारा फ्लाई एश के सुरक्षित निपटान के संबंध में पर्यावरण बाध्यताओं के निर्वहन में कमियां थीं और साथ ही कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र में कोयले के परिवहन का वास्तविक रूप से मूल्यांकन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 7.66 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामले को डी.ए.ई. को भेजा गया (नवम्बर 2017); इसका उत्तर दिसंबर 2017 तक प्रतीक्षित था।

### 3.2 भूमि किराया की अल्प-प्राप्ति

परमाणु उर्जा विभाग द्वारा फैसले की कमी की वजह से तेल कम्पनियों को पट्टे पर दी गई भूमि के किराया संशोधन तथा अनुज्ञप्ति अनुबंध के नवीकरण में निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय असमर्थ रहा, जिसका परिणाम ₹ 12.78 करोड़ के भूमि किराया तथा ब्याज की अल्प-प्राप्ति हुआ। इसके अतिरिक्त, भूमि किराए के देरी से भुगतान पर ब्याज के ₹ 50.39 लाख भी वसूली योग्य थे।

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय, मुंबई (डी.सी.एस.ई.एम.), परमाणु उर्जा विभाग (डी.ए.ई.) का निर्माण विंग, ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.), रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.आई.आई.एल.) तथा नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एन.ओ.सी.आई.एल.) के साथ अणुशक्ति नगर, मुंबई में डी.ए.ई. से सम्बंधित भूमि के नीचे इन तेल कम्पनियों का मार्ग बनाने के लिए अनुज्ञप्ति अनुबंध (1997) किया। ये अनुज्ञप्ति अनुबंध अगस्त 1997 से जुलाई 2007 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए था।

भूमि के उपयोग हेतु वार्षिक भूमि किराया, निदेशक नगर योजना, महाराष्ट्र सरकार (डी.टी.पी.) द्वारा भूमि की कीमत का 10 प्रतिशत नियत किया गया। लाइसेन्सधारियों को किराए के भुगतान में देरी हेतु 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना था।

अनुज्ञप्ति फीस नियत करने के उद्देश्य हेतु डी.ए.ई. ने भूमि की कीमत लगाने का मामला डी.टी.पी. को भेजा (1997) जिसने सलाह दी (2001) कि 'रेडी' रेकनर में उल्लिखित भूमि कीमत को माना जाना चाहिए। तेल कम्पनियों ने इन दरों पर आपत्ति जताई (2001) तथा मामला फिर से डी.टी.पी. को भेजा गया। अनुज्ञप्ति फीस पर

पुनर्विचार हेतु डी.टी.पी. की सलाह (फरवरी 2002) पर तथा डी.सी.एस.ई.एम. व तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक (जुलाई 2002) के आधार पर, अधिग्रहित क्षेत्र<sup>17</sup> हेतु रेडी रेकनर में शामिल भूमि के 35 प्रतिशत के 10 प्रतिशत अनुज्ञप्ति फीस के तौर पर नियत किया गया। तदनुसार, किराए की गणना अनुबंध की तिथि अर्थात् अगस्त 1997 से की गई तथा तेल कम्पनियों द्वारा भुगतान किया गया।

चूँकि, अनुज्ञप्ति अनुबंध की अवधि जुलाई 2007 में समाप्त होनी थी, डी.सी.एस.ई.एम. ने अनुबंध के नवीकरण हेतु डी.ए.ई. को संपर्क किया (फरवरी 2007)। डी.ए.ई. ने (मार्च 2007) डी.सी.एस.ई.एम. को बिना कोई छूट दिए रेडी रेकनर के अनुसार वास्तविक भूमि कीमत पर आधारित एक रूप दर पर, अगस्त 2007 से अनुबंध नवीकरण पर प्रभार्य अनुज्ञप्ति फीस की संशोधित दर निकालने को कहा (मार्च 2007)। तथापि, तेल कम्पनियों ने यह कहते हुए संशोधित भूमि किराया स्वीकार करने से मना कर दिया कि भूमि किराया निकालने के लिए फार्मूले में बदलाव उनकी सहमति के बिना किया गया तथा भूमि कीमत के 35 प्रतिशत पर ही 2002 में सम्मत भूमि किराया लेना जारी रखने का अनुरोध किया।

तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक (जून 2008) के बाद डी.ए.ई. ने डी.टी.पी. को भूमि के नई कीमत आंकलन हेतु संपर्क किया, जिसने डी.सी.एस.ई.एम. को महाराष्ट्र सरकार संकल्प (अगस्त 2008) के प्रावधान, जो मूल उधार दर (पी.एल.आर.) पर ब्याज जमा बाजार कीमत के 10 प्रतिशत पट्टा किराया प्रदान करता है, को अपनाने की सलाह (जुलाई 2010) दी। तदनुसार, डी.सी.एस.ई.एम. ने डी.ए.ई. को आगे 10 वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञप्ति अनुबंध के नवीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत (अगस्त 2010) किया। हालाँकि, तब तक मामला डी.ए.ई. के पास पत्राचार के लिए पड़ा रहा। इसी बीच, डी.सी.एस.ई.एम. ने प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 15 प्रतिशत दर पर भूमि किराया बढ़ने का निर्णय (नवम्बर 2015) ले लिया।

डी.ए.ई. द्वारा भूमि किराया संशोधन तथा अनुबंध के नवीकरण पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। भूमि किराया के संशोधन न होने की वजह से तेल कम्पनियों ने पहले की छूट दर पर भूमि किराया देना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल., आर.आई.आई.एल. द्वारा अगस्त 2007 से जुलाई 2017 की अवधि तथा एन.ओ.सी.आई.एल. द्वारा अगस्त 2007 से जुलाई 2012<sup>18</sup> की अवधि के भूमि किराए

<sup>17</sup> किराया=(रेडी रेकनर के अनुसार भूमि कीमत का 35 प्रतिशत x अधिग्रहित क्षेत्र) x 10 प्रतिशत

<sup>18</sup> एन.ओ.सी.आई.एल. ने जून 2006 से पाईपलाइन का संचालन बंद कर दिया तथा जुलाई 2012 तक बकाया देय पुरानी दरों पर दिए।

तथा ब्याज का ₹ 12.78 करोड़<sup>19</sup> का कम भुगतान हुआ था। इसके अतिरिक्त एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल., एन.ओ.सी.आई.एल. की ओर से 1997 से 2002 तक की अवधि हेतु भूमि किराए के देरी से भुगतान के समक्ष ₹ 50.39 लाख की राशि भी बकाया है।

डी.ए.ई. ने कहा (दिसम्बर 2017) कि तेल कम्पनियों के साथ अनुज्ञप्ति अनुबंध के नवीनीकरण का प्रस्ताव परमाणु ऊर्जा आयोग (ए.ई.सी.) को मई 2011 में एवं उसके बाद मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया गया तथा मंत्रिमंडल के आदेशों (मार्च 2011/नवंबर 2011/जुलाई 2012) पर आधारित, मामले को वित्त मंत्रालय को भेजने का निर्णय किया गया। डी.ए.ई. ने आगे कहा कि प्रस्ताव को सदस्य (वित्त), परमाणु ऊर्जा आयोग को भेजा जा चुका था।

तथ्य यह रहा कि पिछले सात वर्षों से अनुज्ञप्ति फीस के संशोधन पर निर्णय लेने की डी.ए.ई. की अयोग्यता का परिणामस्वरूप ₹ 12.78 करोड़ के भूमि किराए तथा ब्याज की अल्प प्राप्ति हुआ। आगे, डी.सी.एस.ई.एम. ने तेल कम्पनियों को बिना किसी वैध समझौते के एक रियायती किराए पर लगभग 10 वर्षों हेतु सरकारी भूमि के प्रयोग का लाभ लेने की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त भूमि किराया के देरी से भुगतान पर ब्याज के समक्ष ₹ 50.39 लाख की राशि भी वसूल नहीं की गई थी।

### 3.3 वसूली हेतु लंबित बकाया देय

विकिरण एवं आइसोटोप प्रोद्योगिकी बोर्ड रेडियोएक्टिव सामग्री तथा सम्बद्ध उत्पादों की बिक्री के लिए भुगतान प्राप्त हेतु उचित क्रियाविधि स्थापित करने हेतु समय पर कार्यवाही करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.71 करोड़ वसूली के लिए लंबित रहा।

विकिरण एवं आइसोटोप प्रोद्योगिकी बोर्ड, मुंबई (बी.आर.आई.टी.) परमाणु उर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की स्वतंत्र इकाई है जो भुगतान आधार पर विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य, कृषि, अनुसन्धान तथा उद्योग में अनुप्रयोग हेतु विकिरण तथा आइसोटोप पर आधारित उत्पाद तथा सेवाएँ प्रदान करती है। नियम व शर्तों के अनुसार, रेडियोएक्टिव सामग्री की बिक्री के बिल की पावती के 30 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त किया जाना था। यदि भुगतान नियत समय में प्राप्त नहीं हुआ तो आगे की आपूर्ति बिना किसी औपचारिक सूचना के निलंबित की जानी थी।

<sup>19</sup> एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल. तथा आर.आई.आई.एल. के सम्बन्ध में ₹ 11.35 करोड़ (₹ 7.66 करोड़ किराया + 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ₹ 3.69 करोड़ ब्याज) तथा एन.ओ.सी.आई.एल. के सम्बन्ध में ₹ 1.43 करोड़ (₹ 78.04 लाख किराया + ₹ 64.51 लाख ब्याज)

जनवरी 2017 तक रेडियोएक्टिव सामग्रियों की बिक्री हेतु 942 मामलों में ग्राहकों की ओर से ₹ 19.07 करोड़ की राशि देय हैं। इसमें से ₹ 2.75 करोड़ 2010 से पहले की अवधि से सम्बंधित 154 मामलों से सम्बद्ध हैं। बकाया देयता का वर्षवार विवरण तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.4: रेडियोएक्टिव सामग्रियों की बिक्री के समक्ष बकाया देय**

वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या	राशि (₹ में)
वर्ष 2000 से पहले	29	25,42,734
2000-10	125	2,49,83,152
2010-14	151	3,42,19,437
2014-15	104	1,31,68,266
2015-16	138	2,41,22,691
2016-17 (जनवरी 2017 तक)	395	9,16,28,434
<b>कुल</b>	<b>942</b>	<b>19,06,64,711</b>

लेखापरीक्षा में प्राइवेट पार्टियों के 58 उच्च कीमत<sup>20</sup> मामलों में से 36 को जाँचा तथा अवलोकन किया कि तीन ग्राहकों की ओर से देय ₹ 23.48 लाख अब प्राप्त नहीं किये जा सकते थे, क्योंकि उनका ठौर ठिकाना ही पता नहीं था। अन्य सात मामलो में, 3 से 11 वर्ष की अवधि से (फरवरी 2017) ₹ 44.70 लाख का देय लंबित था तथा उनकी प्राप्ति अब संदेहास्पद थी। यह भी देखा गया कि यद्यपि बी.आर.आई.टी. ने पहले की गई आपूर्ति हेतु कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया, इसने एक से अधिक वर्ष हेतु इन सात में से तीन फर्मों को रेडियोएक्टिव सामग्रियों की पूर्ति करना जारी रखा।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकन किया कि नई आपूर्तियाँ करने से पहले पिछले देय की समय पर प्राप्ति हेतु कोई क्रियाविधि नहीं थी। यद्यपि देयता के निपटारे हेतु समय-समय पर अनुस्मारक भेजे गए फिर भी पिछली आपूर्तियों के समक्ष देय की प्राप्ति चालान की नियम व शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किएबिना आपूर्ति करना जारी रखा गया। भुगतान न करने के मामले में या बकाया देय की प्राप्ति में देरी के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था। बी.आर.आई.टी. तथा ग्राहकों के बीच लेखा समाधान भी नहीं किया गया था। ग्राहकों से देय प्राप्ति हेतु किसी संस्थागत क्रियाविधि की कमी के साथ-साथ सार्थक अनुसरण की कमी का परिणाम ₹ 19.07 करोड़ की हुई बिक्री की गैर प्राप्ति गैर वसूली योग्य ₹ 23.48 लाख की हानि हुआ।

हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा मामला नियमित तौर पर बी.आर.आई.टी. के संज्ञान में लाया जा रहा था (2006 से आगे)। जून 2016 तक बी.आर.आई.टी. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जब बी.आर.आई.टी. ने अग्रिम भुगतान प्राप्त होने के पश्चात

<sup>20</sup> ₹ एक लाख से ज्यादा मूल्य वाले।



विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थानों को रेडियोएक्टिव सामग्रियों की आपूर्ति करने का निर्णय (जून 2016) किया। चार लाख से अधिक बकाया देय रखने वाले गैर सरकारी संस्थानों के मामले में बी.आर.आई.टी. ने तत्काल भविष्य में आपूर्ति न करने का निर्णय लिया। बी.आर.आई.टी. ने इसके चालान बिल में 10.07 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाने हेतु एक खंड शामिल करने का भी निर्णय लिया (1 अप्रैल 2016 से) यदि देय, आपूर्ति करने की तिथि से 30 दिन के अंदर प्राप्त नहीं हुए।

बी.आर.आई.टी. ने कहा (फरवरी 2016) कि अप्राप्य राशि को बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्ताव बनाया जा रहा था। बी.आर.आई.टी. ने आगे कहा (अक्टूबर 2017) कि बकाया राशि को ₹ 19.07 करोड़ से घटाकर ₹ 10.71 करोड़ कर दिया गया है।

हालाँकि तथ्य यह है कि इसके उत्पादों हेतु भुगतान वसूली करने के लिए समय पर कार्यवाही करने सम्बन्धी एक प्रभावी क्रियाविधि स्थापित करने में असफलता का परिणाम 602 मामलों में रेडियोएक्टिव सामग्रियों की बिक्री के समक्ष ₹ 10.71 करोड़ का बकाया देय (अक्टूबर 2017) हुआ। इनमें ₹ 2.53 करोड़ (318 मामले) गैर सरकारी उपयोगकर्ताओं से सम्बंधित थे।

सितम्बर 2017 में मामला डी.ए.ई. को भेजा गया; अक्टूबर 2017 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

### 3.4 अनियमित छुट्टी यात्रा रियायत दावे

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद ने इसके कर्मचारियों के छुट्टी यात्रा रियायत बिल पास करने से पहले अनुबंधित जाँच का पालन नहीं किया, जिसका परिणाम अनियमित दावों के लिए ₹ 40.11 लाख का भुगतान हुआ।

सामान्य वित्त नियम, 2005 का नियम 21 अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक धन से किये जाने वाले व्यय के संबंध में वही सतर्कता बरतें जो सामान्य बुद्धिमानी वाली एक व्यक्ति स्वयं का धन खर्च करने के सम्बन्ध में बरतेंगे तथा सार्वजनिक धन से किये जाने वाला व्यय किसी व्यक्ति विशेष या लोगो के एक वर्ग के लाभ हेतु खर्च नहीं किये जाने चाहिए, सिवाय (क) राशि हेतु दावा कानून के रूप में लागू किया जा सकता है या (ख) व्यय एक स्वीकृत नीति या प्रचलन के अनुसार है।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) नियमावली का नियम 2.30, सरकार के वित्तीय हितों को जालसाजी, दुरुपयोग तथा अस्वीकार्य दावों से सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में डी.डी.ओ. द्वारा टिकटों की क्रम संख्या की जाँच को शामिल करते हुए छुट्टी यात्रा रियायत पास करते समय निश्चित जाँच करना अनुबंधित करता है।

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद (एन.एफ.सी.) परमाणु उर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की एक इकाई, के 2013-15 की अवधि हेतु कर्मचारियों के एल.टी.सी. दावों के संबंध में वाउचर की नमूना जाँच से उजागर हुआ कि 32 मामलों में दावे, एयर इंडिया की एल.टी.सी. 80 योजना के अंतर्गत बुक की गई ई-टिकटों हेतु प्रस्तुत किये गए। तथापि, वास्तविक यात्रा के बोर्डिंग पास अलग ई-टिकट संख्या दर्शा रहे थे। यह दर्शाता है कि वास्तविक यात्रा एल.टी.सी. 80 के समक्ष नहीं की गई जिसके लिए कर्मचारियों द्वारा दावे प्रस्तुत किये गए थे। एन.एफ.सी ने इस तरह के दावों को पास किया तथा इन 32 मामलों में कर्मचारियों को ₹ 40.11 लाख का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में एयर इंडिया से इन 32 कर्मचारियों के यात्रा विवरण की दुबारा जाँच की गई तथा पाया गया कि 31 लोगों ने यात्रा की तथा एक कर्मचारी जो एल.टी.सी. दावा कर चुका था तथा जिसे ₹ 0.86 लाख का भुगतान किया गया, का नाम एयर इंडिया के यात्रा विवरण में दिखाई नहीं दिया। यह भी पुष्टि की गई कि 20 कर्मचारी एयर इंडिया को वास्तव में भुगतान किए गए किराए के मुकाबले उच्च किराए का दावा कर चुके थे तथा ₹ 15.02 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया। शेष 11 कर्मचारियों हेतु अतिरिक्त भुगतान की गणना, यात्रा विवरण की गैर-उपलब्धता की वजह से नहीं की जा सकी।

इस प्रकार बिल पास करने से पहले नियत जाँच करने की असफलता का परिणाम 21 मामले, जिनकी पुष्टि एयर इंडिया के यात्रा विवरण से की गई थी के संबंध में ₹ 24.81 लाख<sup>21</sup> तथा शेष 11 मामलों के समक्ष ₹ 15.30 लाख का असत्यापित भुगतान, जिसकी जाँच की आवश्यकता है, को शामिल करते हुए अनियमित एल.टी.सी. दावों के समक्ष ₹ 40.11 लाख का भुगतान हुआ।

इस लेखापरीक्षा के अवलोकन में उल्लिखित अनियमित एल.टी.सी. दावों के भुगतान के उदाहरण उन एल.टी.सी. बिलों के नमूना जाँच के दौरान पाए गए और इस तरह के अन्य उदाहरणों के जोखिम को बाहर नहीं रखते हैं। इस तरह की अनियमितताओं की संभावना का दोहन करने के लिए, विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी एल.टी.सी. दावों का फिर से जाँच और सत्यापन किया जाए।

डी.ए.ई. ने कहा (अक्टूबर 2017) कि मामले को जाँच विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजना तय किया गया।

<sup>21</sup> 20 लोगों द्वारा किये गए दावों के समक्ष ₹ 23.95 लाख तथा एक व्यक्ति को किये गए भुगतान के समक्ष ₹ 0.86 लाख का भुगतान, जिसका नाम एयर इंडिया का यात्रा विवरण में दिखाई नहीं दिया।